

का.आ.सं.ईडी / 49 / 2021
 सं.ईडी/891/3 भाग- V

 मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम
 दिनांक: 01.03.2021

कार्यालय आदेश

- विषय :-** स्काउट एवं गार्ड कोटा वर्ष 2019-20 के अंतर्गत "घ" समूह में नियुक्ति हम्माल के पद पर वेतनमान रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे (लेवल-1) सामान्य प्रशासन विभाग रतलाम मंडल।
- संदर्भ :-** 1. महा.स्था.चर्चगेट के पत्र सं. E(R&T)890/68/(S&G)Gr."D" Vol XIII दिनांक 07.01.2021
 2. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 19.01.2021 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार स्काउट एवं गार्ड कोटा वर्ष 2019-20 के अंतर्गत "घ" समूह वेतनमान रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे (लेवल-1) में चयनित होने पर निम्नलिखित उम्मीदवार को नियुक्ति प्रस्ताव एवं अन्य समस्त सेवा शर्तें स्वीकार करने, निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में हम्माल वेतनमान रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे (लेवल-1) के पद पर वेतन रु. 18000/- प्रतिमाह एवं अन्य स्वीकृत भत्तो सहित नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सामने दर्शाये गये स्टेशन / यूनिट पर पदस्थ किया जाता है।

नाम सर्व श्री	समुदाय	जन्म दिनांक	चिकित्सा प्रमाण पत्र सं. दिनांक एवं कोटि	नियुक्ति पर पदांकन स्टेशन / यूनिट
विनोद कुमार पुत्र श्री लालमन पटेल	अपिव	10.08.1993	575636, 02.02.2021, A -2 DMO-RATLAM,	अधीन जेनीटर, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम


शर्तें :-

- इनका पदांकन प्रथम नियुक्ति के लिए भारतीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा इनके चरित्र व पूर्ण घोषणा सत्यापन हो इस शर्तों पर किया जाता/जा रहा है। यदि इनके द्वारा की गयी घोषणा / रिपोर्ट गलत पायी जाती है तो इनकी सेवाए बिना कोई कारण बताए तत्काल समाप्त की जा सकती है।
- इनकी प्रस्ताविक नियुक्ति अस्थाई है इनकी सेवा 14 दिन की सूचना पर या उनके बदले वेतन देकर समाप्त की जा सकती है स्थाईकरण पर इनकी नियुक्ति के बाद इनकी वरिष्ठता के अनुसार तथा स्थाईकरण के लिये निहित अवधि पूरी कर लेने के बाद ही विचार किया जा सकेगा।
- इनका स्थानांतरण इस रेलवे के किसी भी स्थान पर किया जा सकता है सरकार रेल कर्मचारियों पर लागू होने वाले सभी नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा घोषित विभिन्न नियमों से आप शासित होंगे।

---लगातार---

4. आपको भारत के प्रति निष्ठावान तथा भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई गयी है, जिसका पालन करना आपकी इयूटी है।
5. यदि भविष्य में पाया गया की आपकी एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जायेगा।
6. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति प्रत्येक कर्मचारियों को जरूरत होने पर प्रादेशिक सेना की रेल इंजीनियरिंग की यूनिट सेवा एवं रिजर्व सेना में क्रमशः 07 व 08 वर्ष नौकरी हेतु समय-समय पर सूचित किये जाने पर इस अवधि के लिए नौकरी करना होगी। इसके अलावा जब कभी भी जरूरत पडने पर प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोर्स की ट्रेनिंग में नियुक्त करने पर आपको जाना पडेगा।
7. रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.02.2004 के पत्र सं. 2004/ एसों/11/221/आरबीई.सं.05/04 के द्वारा घोषित नई पेंशन नियमों में आप शामिल होंगे जो कि दिनांक 01.01.2004 से प्रभावशील है।
8. आपको समय समय पर स्काउट एवं गार्ड संबंधी होने वाली गतिविधियों में जब भी प्रशासन द्वारा नामित किया जाये , भाग लेना होगा।
इस पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
कार्यग्रहण करने की सूचना सर्वसंबंधित को देवे।

(दीपक परमार)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते-मंडल रेल प्रबं.(स्था.) रतलाम

प्रतिलिपि :-

वरिमंविप्रबं./वरिमंकाअधि./मंकाअधि./सहाकाअधि-I/II/III रतलाम,
मुकाअ- ईडी, वेतन,पास,अवकाश,आवास,सेपु,वेवू., गोपनीय,डीएआर रतलाम।
जेनीटर मंडल कार्यालय , संबंधित कर्मचारी रतलाम।
सहा.का.अधि.(आरएंडटी) चर्चगेट
मंडल मंत्री- वे.रे.म.संघ / वे.रे.ए.यूनियन/ सचिव -एससी,एसटी एसो./ ओबीसी एसो.रतलाम।
उक्त आदेश e-समाधान एप पर उपलब्ध है।